अध्यापक संवर्ग के ऑनलाइन अन्तर्निकाय संविलियन के तहत आवेदन की प्रक्रिया

विभागीय आदेश दिनांक **10.07.17** के द्वारा एज्यूकेशन पोर्टल के माध्यम से अध्यापक संवर्ग के ऑनलाइन अन्तर्निकाय संविलियन के लिए आदेश जारी किये गये है। स्कूल शिक्षा विभाग एवं आदिम जाति कल्याण विभाग के अन्तर्गत संचालित शैक्षणिक शालाओं में कार्यरत अध्यापक संवर्ग केव्यक्ति ऑनलाइन आवेदन कर सकेगें। अन्तर्निकाय संविलियन हेतुऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया एवं कार्रवाई निम्नानुसार रहेगी:-

सर्वप्रथम इच्छुक अध्यापक अन्तर्निकाय संविलियन हेतु एज्यूकेशन पोर्टल पर अपनी यूनिक आईडी. एवं पासवर्ड के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करेंगे | **आवेदन पूर्णतः निःशुल्क है और आवेदक द्वारा स्वयं ही भरा जा सकता है |**

कोई भी अध्यापक जिला पंचायत (ग्रामीण निकाय) से अन्य जिला पंचायत (ग्रामीण निकाय), नगरीय निकाय से अन्य नगरीय निकाय एवं नगरीय निकाय से जिला पंचायत (ग्रामीण निकाय) में ऑनलाइन आवेदन कर सकेगें। ग्रामीण निकाय में संविदा शाला षिक्षक श्रेणी-3/सहायक अध्यापक पद के नियुक्ति प्राधिकारी जिला पंचायत होने से जिले के अन्दर जनपद पंचायत से अन्य जनपद पंचायत में अन्तर्निकाय संविलियन नही हो सकेगा।

www.educationportal.mp.gov.in पर निम्नानुसार लॉग इन करें

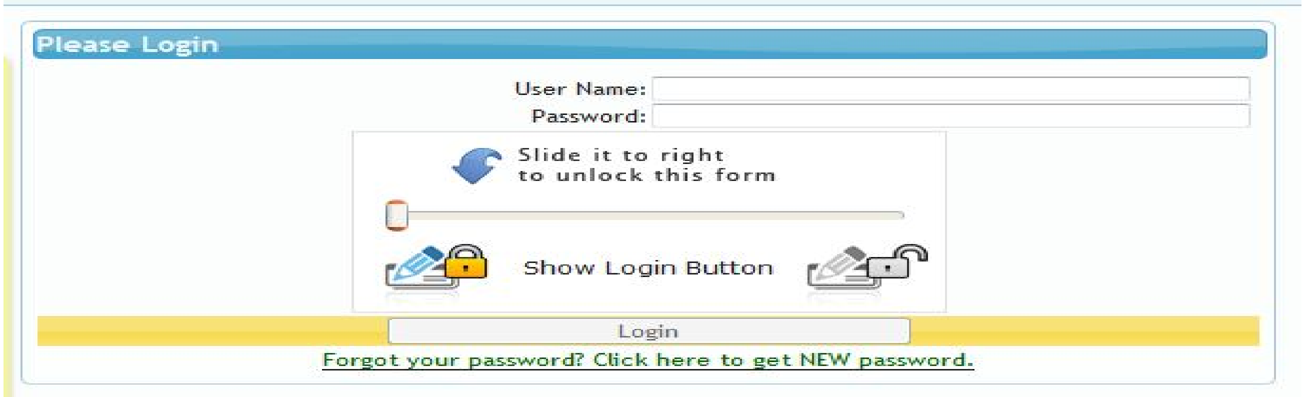

लॉग इन उपरांत निम्न पेज दिखाई देगा, जिस पर ऑनलाइन सुविधाएँ सेक्शन में जाकर "ऑनलाइन संविलियन हेतु आवेदन दर्ज करें" विकल्प का चयन करें :

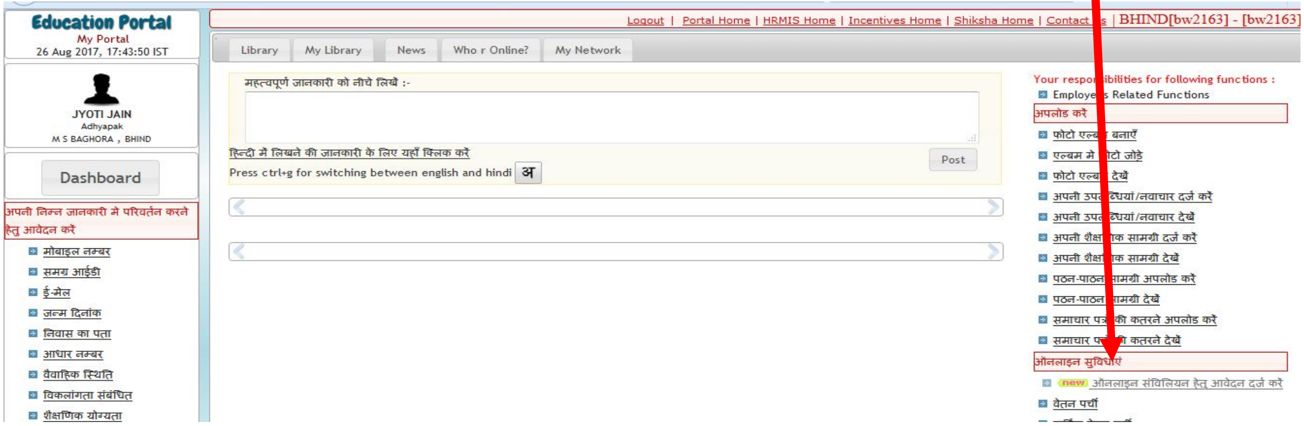

चयन उपरांत निम्न स्क्रीन पर दर्शित निर्देशों को भली भाँति पढ़ लें और अपनी जानकारी दर्ज करें

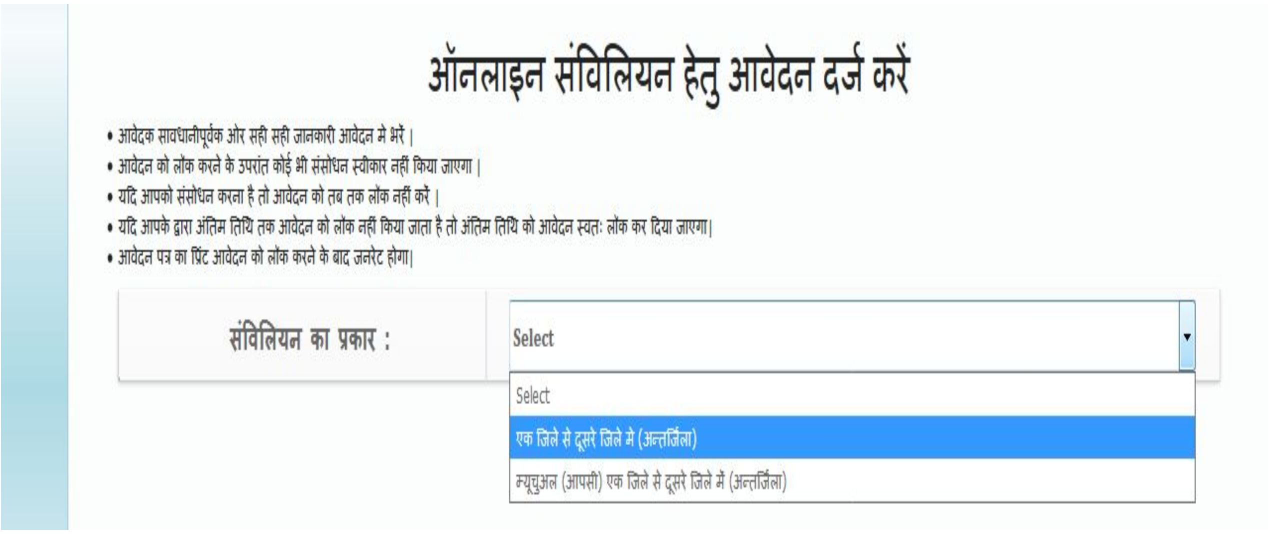

ऑनलाइन संविलियन हेतु आवेदन दर्ज करें

- आवेदक सावधानीपूर्वक ओर सही सही जानकारी आवेदन मे भरें |
- आवेदन को लॉक करने के उपरांत कोई भी संसोधन स्वीकार नहीं किया जाएगा |
- यदि आपको संसोधन करना है तो आवेदन को तब तक लॉक नहीं करें |
- यदि आपके द्वारा अंतिम तिथि तक आवेदन को लॉक नहीं किया जाता है तो अंतिम तिथि को आवेदन स्वतः लॉक कर दिया जाएगा|
- आवेदन पत्र का प्रिंट आवेदन को लॉक करने के बाद जनरेट होगा|

संविलियन का प्रकार : Select

Select
एक जिले से दूसरे जिले मे (अन्तर्जिला)
म्यूचुअल (आपसी) एक जिले से दूसरे जिले मे (अन्तर्जिला)

निम्नानुसार जानकारी पूर्व से प्रदर्शित होगी :

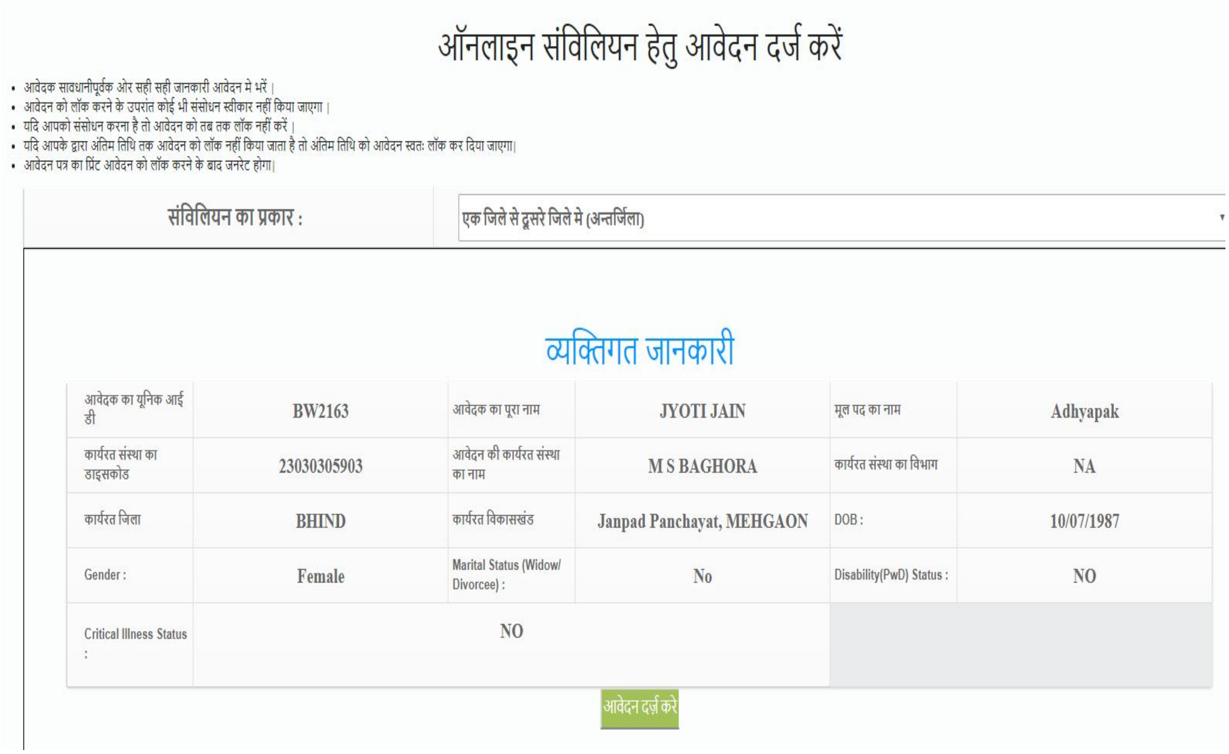

ऑनलाइन संविलियन हेतु आवेदन दर्ज करें

- आवेदक सावधानीपूर्वक ओर सही सही जानकारी आवेदन मे भरें |
- आवेदन को लॉक करने के उपरांत कोई भी संसोधन स्वीकार नहीं किया जाएगा |
- यदि आपको संसोधन करना है तो आवेदन को तब तक लॉक नहीं करें |
- यदि आपके द्वारा अंतिम तिथि तक आवेदन को लॉक नहीं किया जाता है तो अंतिम तिथि को आवेदन स्वतः लॉक कर दिया जाएगा|
- आवेदन पत्र का प्रिंट आवेदन को लॉक करने के बाद जनरेट होगा|

संविलियन का प्रकार : एक जिले से दूसरे जिले मे (अन्तर्जिला)

व्यक्तिगत जानकारी

आवेदक का यूनिक आई डी	BW2163	आवेदक का पूरा नाम	JYOTI JAIN	मूल पद का नाम	Adhyapak
कार्यरत संस्था का डाइसकोड	23030305903	आवेदन की कार्यरत संस्था का नाम	M S BAGHORA	कार्यरत संस्था का विभाग	NA
कार्यरत जिला	BHIND	कार्यरत विकासखंड	Janpad Panchayat, MEHGAON	DOB :	10/07/1987
Gender :	Female	Marital Status (Widow/ Divorcee) :	No	Disability(PwD) Status :	NO
Critical Illness Status :	NO				

आवेदन दर्ज करें

उपरोक्त जानकारी में गंभीर बीमारी, वैवाहिक स्थिति, विकलांगता आदि की जानकारी प्रदर्शित की गयी है यदि इनमे किसी भी प्रकार की त्रुटि हो तो निम्न स्क्रीन अनुसार जानकारी भर सकते है|

उपरोक्तानुसार जो भी जानकारी दी जाएगी उसका प्रमाण पत्र भी पीडीएफ में अपलोड करना होगा |

तदुपरांत नीति के अनुसार गत तीन वर्षों का परीक्षा परिणाम की जानकारी बोर्ड, लोकल सही सही भरें जिसका सत्यापन जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा किया जायेगा |

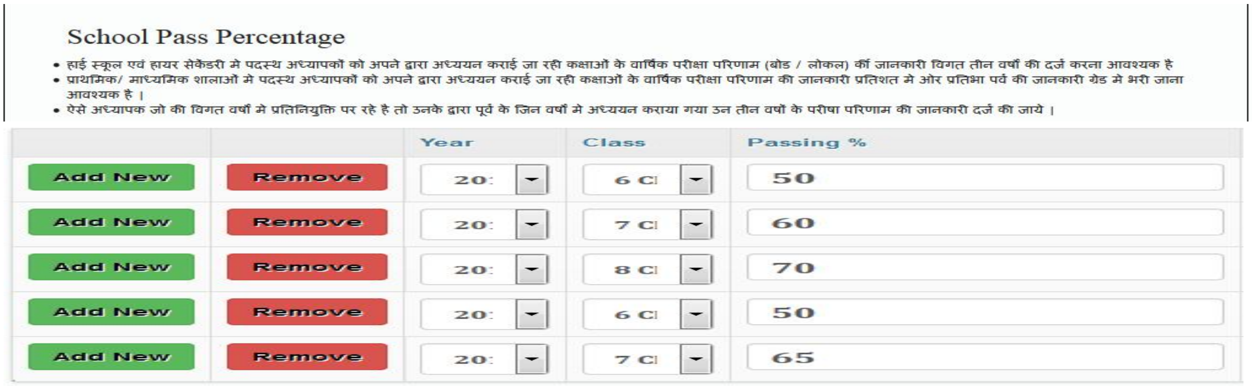

उपरोक्त जानकारी भरने के उपरांत निम्नानुसार स्क्रीन पर विषय / जिला/ लोकल बॉडी का चयन करते हुए प्राथमिकता के क्रम में चॉइस भरे |

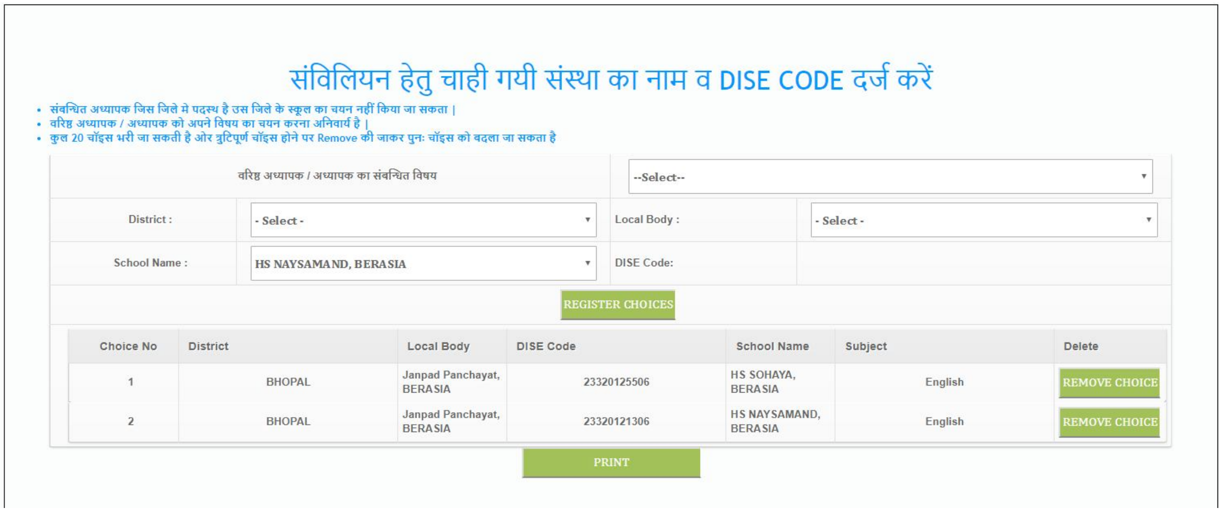

- सर्वप्रथम अपना विषय चुनें
- जिला चुने जिस जिले में जाना चाहते है
- लोकल बॉडी चुने जिस लोकल बॉडी में जाना चाहते है ध्यान रहे कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए समस्त जिले का ग्रामीण क्षेत्र अर्थात जिला पंचायत (समस्त जनपद पंचायत मिलाकर) और नगरीय निकाय अर्थ एक नगरीय निकाय
- स्कूल चुने और **Register Choice** पर क्लिक करें फिर पुनः स्कूल चुने और **Register Choice** पर क्लिक करें, **Register Choice** पर क्लिक करने से आपकी चॉइस save हो जाएगी | इस प्रकार अधिकतम कुल 20 स्कूल तक का विकल्प दे सकते है |
- अंत में प्रिंट आप्शन का प्रयोग करते हुए प्रिंटआउट प्राप्त करें | यह प्रिंट ड्राफ्ट प्रिंट होगा जिस पर QR कोड नहीं छपेगा | कोड एप्लीकेशन को लॉक करने के उपरांत आएगा |

- एप्लीकेशन को लॉक करने के लिए उपरोक्त स्क्रीन अनुसार **Lock Application Option** का चयन कर लॉक किया जा सकेगा और यदि दी गयी जानकारी में कोई संशोधन करना हो तो तब तक एप्लीकेशन को लॉक नहीं करें |
- लॉक करने के उपरांत कोई भी संशोधन स्वीकार नहीं किया जायेगा |
- यदि सम्बंधित द्वारा एप्लीकेशन को अंत तक लॉक नहीं जायेगा तो आवेदन की अंतिम तारीख को आवेदन स्वतः लॉक हो जायेगा जिसके उपरांत प्रिंट निकालने पर QR कोड प्रदर्शित होगा |